



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

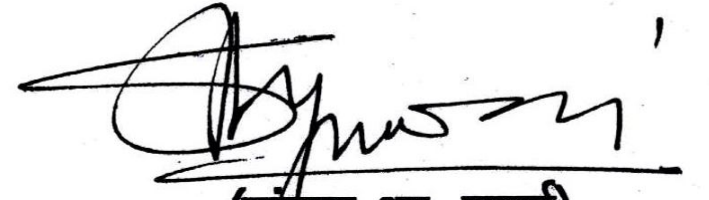
संजय भा. गवई
कार्यकारी कुलसचिव
SANJAY B. GAWAI
Acting Registrar

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902
फैक्स/Fax: + 91-7152-247602

क्रमांक : 003 / 2003 / का.आ. / 02-142 / 2014
दिनांक : 26 नवंबर, 2014

परिपत्र

विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्षों, विभागाध्यक्षों, निदेशकों, केंद्र निदेशकों एवं कार्यालय प्रभारी/प्रमुखों से यह अपेक्षा की जाती है कि अपने विभागीय/कार्यालयीय पत्रावलियों पर हस्ताक्षर करते समय नियमानुसार प्रस्तावित कार्यवाही के संबंध में अपना अभिमत लिखने के बाद ही पत्रावलियाँ अपने उच्चाधिकारी को प्रेषित करें।


(संजय भा. गवई)

प्रति,

समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/निदेशक/केंद्र निदेशक/प्रभारी/कार्यालय प्रमुखों

प्रतिलिपि :

1. कुलपति कार्यालय
2. कुलसचिव कार्यालय
3. वित्ताधिकारी
4. विश्वविद्यालय वेबसाइट
5. कार्यालय प्रति